FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अर्ज अदालतः—अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

सरकार बनाम कंवरलाल मीणा

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र मिसल नम्बर 20 / 2024

खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006

2024/110

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.9.2024	प्रार्थी सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(2) एफ.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्राथी को नोटिस जारी कर तलबी की जावे। पत्रावली दिनांक 10.10.2024 को पेश हो। अति० जिला कलेक्टर कोटा	1462 10/9/24
10/10/2024	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनु० अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की आकर पत्रावली दिनांक 24/10/2024 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई। **अप्रार्थी उपस्थित।** अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) दही का विक्रय करना पाया गया।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। अत **श्री कंवर लाल मीणा पुत्र श्री रामलाल मीणा, खाद्य कारोबारकर्ता व मैनेजर, मैसर्स—हाईवे रसोई, बीपीसीएल डीपो के पास, ताथेड़, तह0 लाडपुरा कोटा राज, निवासी— 3—सी—5, महावीर नगर तृतीय, जिला कोटा एवं श्री जय प्रकाश मीणा पुत्र**	(जयप्रकाश मीणा)

श्री कंवरलाल मीणा (प्रोपराईटर) मैसर्स– हाईवे रसोई, बीपीसीएल डीपों के पास, ताथेड, तह0 लाडपुरा कोटा राज0 निवासी–3–सी–5, महावीर नगर तृतीय, कोटा पर 40000/– रूपये (अक्षरे चालीस हजार रूपये) शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षीगण आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये **संदीप अग्रवाल** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

अति0 जिला कलेक्टर
कोटा

24-10-2024

पुनश्चः दिनांक 24.10.2024 को पत्रावली में रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जिस पर बहस सुनी गई। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया है कि उक्त मामले में दोनो पिता–पुत्र है और उक्त हाईवे रसोई का प्रोपराईटर अप्रार्थी जयप्रकाश ही है। अप्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है जो छोटा सा रेस्टॉरेट संचालित करते है, इसलिए श्रीमान द्वारा अप्रार्थीगणों जयप्रकाश मीणा एवं उसके पिता कंवरलाल मीणा के उपर अधिरोपित की गई राशि 20–20 हजार को केवल अप्रार्थी के उपर ही अधिरोपित कि जावें, एवं उसके पिता कंवरलाल मीणा पुत्र रामलाल मीणा के उपर अधिरोपित राशि को माफ करने की कृपा करें।

अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अतः रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी जयप्रकाश मीणा पुत्र कंवरलाल मीणा निवासी 3 सी 5 महावीर नगर कोटा पर अक्षरे 20,000/– रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी जयप्रकाश मीणा पुत्र कंवरलाल मीणा आरोपित शास्ति राशि जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

24/10/24

अति0 जिला कलेक्टर
कोटा